भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1959
दिनांक 01 अगस्त, 2023 / 10 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

सीएपीएफ कर्मियों हेतु विशेष भत्ता

1959. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) से एसपीजी, एनएसजी आदि में वीवीआईपी डयूटी पर तैनात कर्मियों को उनकी डयूटी के लिए विशेष भत्ता मिल रहा है;
(ख) यदि हां, तो क्या इन सीएपीएफ कर्मियों, विशेषकर सीआरपीएफ से वीआईपी डयूटी पर और विभिन्न श्रेणी के सुरक्षा-संरक्षित व्यक्तियों के साथ तैनात कर्मियों को एसपीजी, एनएसजी आदि के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों की तुलना में कम भत्ता मिल रहा है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा वीआईपी के सुरक्षा-कर्मचारियों के रुप में तैनात सीआरपीएफ कर्मियों के भत्तों को बढ़ाने और उन्हें अन्य वीआईपी डयूटी में तैनात उनके समकक्ष कर्मियों के बराबर वेतन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): एसपीजी, एनएसजी आदि में तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को विशेष सुरक्षा भत्ता मिल रहा है। तथापि, वीआईपी सुरक्षा यूनिटों और विभिन्न श्रेणी के सुरक्षा संरक्षित व्यक्तियों के साथ तैनात सीआरपीएफ कार्मिकों को विशेष भत्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ के वीआईपी सुरक्षा विंग निदेशालय का गठन दिनांक 01.06.2020 को तदर्थ आधार पर किया गया था और इसलिए उनको विशेष सुरक्षा भत्ता प्रदान करने के मामले पर 7वें केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा विचार नहीं किया जा सका। इसका दिनांक 31.01.2023 को ही नियमितीकरण हुआ है।

(घ): सीआरपीएफ के वीआईपी सुरक्षा विंग के कार्मिकों को विशेष सुरक्षा भत्ता प्रदान करने के लिए सीआरपीएफ का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

*****